प्रेषक- अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक
उत्तरकाशी।

सेवामें, शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल
02 सुभाष रोड़, देहरा दून।

पत्रांक/बेसिक/ 2913-15 / वि0बी0टी0सी0/नि0/2004-05 दिनांक 21-3-2005

विषय- विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, कृपया इस कार्यालय के पत्रांक/बेसिक/2613-14/ वि0बी0टी0सी0/2004-2005 दिनांक 01 फरवरी 2005 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराया गया था कि शासनादेश संख्या-1297(1)/15-5-2000/ दिनांक 28 फरवरी 2000 के अनुसार, इस जनपद के लिये उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स0अ0 के 66 पद आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अन्तर्गत सृजित किये गये थे तथा उक्त पदों को स0अ0 प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की पदोन्नति से भरा गया था किन्तु शासनादेश के अनुसार स0अ0 प्राथमिक विद्यालयों की परिणामी रिक्तियों को रिक्त रखे जाने के निर्देश उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये थे जिसकी प्रतियाँ संदर्भित पत्र के साथ पूर्व ही आपकी सेवामें 66 पदों पर विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति किये जाने के निर्देश निदेशालय से चाहे गये थे जो कि अद्यावधि इस कार्यालय को अप्राप्त हैं। चूंकि उक्त 66 पदों के अतिरिक्त अन्य 26 पद मा0 उच्च न्यायालय उत्तरांचल नैनीताल के आदेश दिनांक 28-2-05 तथा आदेश दिनांक 16-3-2003 के अनुसार रिक्त रखे जाने के निर्देश हैं। अतः जब तक आपके स्तर से आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत 66 प्रतिबन्धित पदों पर नियुक्ति हेतु अनुमति प्रदान नहीं की जाती है तब तक विशिष्ट बी0टी0 सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी सम्भव नहीं हो सकेगी। मा0 उच्च न्यायालय उत्तरांचल, नैनीताल के पारित आदेश की प्रति आपके अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है।

अतः पुनः अनुरोध है कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत प्रतिबन्धित 66 पदों पर नियुक्ति हेतु अपने अथवा शासन स्तर से अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय
(आशुतोष भण्डारी) 2005
अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक
उत्तरकाशी।

पृ0सं0/बेसिक/ / 2004-2005 दिनांक उक्त तिथि।

प्रतिलिपि:-

1:- सचिव शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल देहरा दून की सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2:- जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष भण्डारी)
अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक
उत्तरकाशी।

respondents and the petitioners were compelled to move contempt petition.

Respondents have issued an advertisement dated 3.8.2004 for Special BTC Training, even after the order dated 5.12.2003 passed by this court in writ petition no. 5576 (SS) of 2001 (Old Writ Petition No. 33931 of 1997) passed However no decision has been taken in respect of petitioners' representation in spite of the order passed by this court. Again an advertisement dated 9.2.2005 has been issued by the Basic Education Officer to fill up the posts of Assistant Teacher in Basic School, Uttarkashi.

List this case on 16.3.2005. On that date, the Basic Education Officer, Uttarkashi shall explain as to why he has not complied the orders passed by this court on 14.10.1997, 5.12.2003 and 3.12.2004. Till then respondents shall not fill up 26 posts of Assistant Teachers in District Uttarkashi, as already directed by this court.

Application is disposed of accordingly.

Copy of this order shall be provided today on payment of usual charges.

Sd/-

(M.M. Ghildiyal, J)

February 28, 2005

S.K.Sharma

Attested True

[redacted]

प्रेषक,

दिनेश चन्द्र कनौजिया,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

शिक्षा निदेशक(बेसिक) एवं अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद,
इलाहाबाद।

शिक्षा(5) अनुभाग   लखनऊ: दिनांक: 28फरवरी,2000

विषय:- आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना से आच्छादित बेसिक शिक्षा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों का सृजन।

महोदय,

आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के विस्तारीकरण की योजना से आच्छादित प्रदेश के 19148 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 5310 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन वेतनमान रुपये-4250-100-5150-125-6400 में सहायक अध्यापक के 5310 पदों के सृजन की श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त पदों के पद धारकों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये शासनादेश के अन्तर्गत महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते देय होंगे। सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद संगत सेवा नियमों के प्राविधानों के अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे तथा पदोन्नति के फलस्वरूप सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालयों के पदों पर होने वाली परिणामी रिक्तियों के सम्बन्ध में शासन के आदेश पृथक से प्रसारित किये जा रहे हैं। अतः अग्रेतर आदेश होने तक सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय के पदों के सापेक्ष परिणामी रिक्तियों को भरा नहीं जायेगा।

3- उपर्युक्त पदों पर होने वाला व्यय शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायतार्थ प्राप्त आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजनान्तर्गत निम्नलिखित लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा।

"2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनागत-01-प्रारम्भिक शिक्षा-102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-01-केन्द्रीयआयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-शिक्षा प्रसार हेतु स्थानीय अध्यापकों की नियुक्ति-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता"।

4- उपर्युक्त पदों के सृजन के संबंध में भारत सरकार की सहमति मानव संसाधन विकास(मंत्रालय)(शिक्षा विभाग) के पत्र संख्या-एफ-9-12/94-ओ0बी0, दिनांक 13 अप्रैल,1999 में प्रदान की गयी है।

अशासकीय संख्या -का- 2-

2000 दिनांक 28-2-2000 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

---2

संख्या-1297(1)/15-5-2000-76/95, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. अनुसचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।
5. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु-1/निर्वाचन अनुभाग।

आज्ञा से,

ह0-

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव।

शिविर कार्यालय, शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, निशातगंज, लखनऊ।

पत्रांक: शि0नि0(बे0)/36545-651 /99-2000, दिनांक: 10 मार्च, 2000

उपर्युक्त शासनादेश की प्रति निम्नांकित अधिकारियों को जनपदवार सृजित किये गये सहायक अध्यापकों के पदों की प्रति सहित तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) मुख्यालय, इलाहाबाद। वित्त नियंत्रक, बे0शि0प0।
2. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
3. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. अनुसचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक),
कृते शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश,
निशातगंज, विद्या भवन, लखनऊ।